फारम–VIII - क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

उप–विधि सं0– 8(4)

आप के आवेदन संख्या– 09 तिथि– 26.05.2023 के संदर्भ में श्री/श्रीमती **श्री अनील कुमार सिन्हा वो श्री अरविन्द प्रसाद सिंह वल्दान स्व0 रामानुज प्रसाद सिंह** के लिए

(क) Ground +4` Floor भवन के निर्माण
(ख) भवन के पुननिर्माण
(ग) भवन के परिवर्त्तन
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्त्तन या परिवर्धन
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्त्तन

बिहारशरीफ नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित .....विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के ..... प्लॉट नं0 (सी0एस0) 856, 859 & 860 प्लॉट नं0 (एम0एस0पी0).....खाता नं0 371, 338 & 344 होल्डिंग नं0– ——— गाँव ....., मोहल्ला **मघड़ा,** वार्ड नं0 48 को के बावत निम्नलिखीत शर्त्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती हैं :–

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रुप से **आवासीय भवन** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयाग को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(ख) विकास पूर्ण रुप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **शून्य.** वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 22.86 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ **बिहारशरीफ नगर निगम** नगर निगमों/नगर परिषद्/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में ..... मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रुप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबात साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) कोई अन्य शर्त्त

ह–/0
नगर आयुक्त,
बिहारशरीफ नगर निगम।

ज्ञापांक सं0. 2409 / दिनांक 20/9/23।

प्रतिलिपिः– अनुमोदित योजनाओं की **दो** प्रतियों के साथ श्री/श्रीमती **श्री अनील कुमार सिन्हा वो श्री अरविन्द प्रसाद सिंह वल्दान स्व0 रामानुज प्रसाद सिंह,** मोहल्ला– **मघड़ा,** वार्ड नं0 48 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/9/23
नगर आयुक्त,
बिहारशरीफ नगर निगम।

Arpan Megastructures Pvt. Ltd.
Director

07/09/2023